न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

पील संख्या 20/16

1. साबूती पुत्री ज्वारिया पत्नि रामधन जाति मीना निवासी पाटोर शास्त्री हालवासी रामापुरा तहसील व जिला करौली
2. केशन्ती पुत्री ज्वारिया पत्नि रामकिशन जाति मीना निवासी पाटोर शास्त्री हालवासी रामापुरा तहसील व जिला करौली
3. सप्पी पुत्री ज्वारिया पत्नि बाबूलाल जाति मीना निवासी पाटोर शास्त्री हालवासी टोकसी तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर
4. सम्पति पुत्री ज्वारिया पत्नि रमेश जाति मीना निवासी पाटोर शास्त्री हाल वासी टोकसी तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

अपीलांटान

बनाम

1. मुडी पत्नि गिर्राज पुत्री जोरिया जाति मीना निवासी बीजलपुर तहसील व जिला करौली
2. मुक्ति पत्नि दुर्गालाल पुत्री जोरिया जाति मीना निवासी भडक्या बीजलपुर तहसील व जिला करौली
3. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार करौली

(अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय सहायक कलेक्टर करौली
मु0न0 50/2015 निर्णय व डिग्री दिनांक 31.12.15)

उपस्थित अभिभाषक

1. अपीलांटान की ओर से श्री असफाक अहमद
2. रेस्पोडेटान की ओर से कोई उपस्थित नहीं

निर्णय

दिनांक 25.2.2020

प्रस्तुत अपील अपीलांट की ओर से अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट (राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955) के तहत न्यायालय सहायक कलेक्टर कररौली मुकदमा नम्बर 50/2015 निर्णय/डिग्री दिनांक 31.12.15 के विरूद्ध पेश की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय मे वादी/अपीलांट द्वारा एक वाद पत्र बाबत बंटवारा एवं घोषणा तथा हुक्म इम्तनाई दवामी तहत धारा 53–88–188 इस आशय का पेश किया कि आराजीयात ख0न0 4,12,14,32,38,44,58,81,83 कुल किता 9 कुल रकबा 10 बीघा 8 विस्वा तथा ख0न0 23 रकबा 1 बीघा 11 विस्वा वाके ग्राम पाटोर शास्त्री पटवार हल्का काशीपुरा तहसील करौली जिला करौली मे स्थित है। जिनके वादीगण व प्रतिवादीगण न0 1 व 2 सहखातेदार काश्तकार है तथा सरकारी रिकार्ड मे भी पक्षकारान बतौर सहखातेदार दर्ज है। भूमि ख0न0 4,12,14,32,38,44,58,81,83 कुल किता 9 कुल

अपील प्राधिकारी
वाई माधोपुर

Scanned by CamScanner

रकबा 10 बीघा 8 विस्वा मे 1/6, 1/6 हिस्सेदार है इसी प्रकार ख0न0 23 रकबा 1 बीघा 11 विस्वा मे 1/12, 1/12 हिस्सेदार है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। प्रतिवादीगण 1 व 2 अत्यन्त चालाक व खुदगर्ज़ है यह हमारी उक्त आरजीयात मे हम वादीगण को जोत बो मे बाधा उत्पन्न करती है तथा बंटवारे की कहते है तो लडने मारने पर उतारू हो जाती है। इनके पति व बच्चे हाथो मे हथियार लेकर हमे डराते है। दिनांक 4.7.15 को इस जमीन की खातिर मूडी के पति तथा उसके लडको ने मुझ केसन्ती के पुत्र धर्मी की मारपीट की तथा गंभीर चोट पहुँचाई। दिनांक 6.8.15 को वादीगण ने प्रतिवादीगण न0 1 व 2 से मौके पर बंटवारा करने व अलग अलग खातेदारी कराने की कहा तो वह साफ इंकार हो गये तथा धमकी दी कि अभी तो सिर ही फोडे है किसी हालत मे बंटवारा नही करेगे गांव मे आये तो जान से खत्म कर देगे। यही वाद कारण होने से अपीलांट/वादीगण द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर उक्त आराजीयात मे अपने हिस्से अनुसार वादग्रस्त आराजीयात का बंटवारा करते हुए अलग अलग खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादीगण न0 1 व 2 को जरिये हुक्म इम्तनाई दवामी पाबन्द कराने की मुस्तहक है कि वह हमारे हिस्से मे मदाखलत व मजाहमत नही स्वयं करे ना ही अन्य से करावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/अपीलांट का दावा खारिज किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टान की तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये। रेस्पो0 बाबजूद तामिल उपस्थित नहीं हुंए ना ही उनकी और से कोई अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। बहस अपीलांट अभिभाषक की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के विद्वान अभिभाषक का बहस तर्कों में यह कथन रहा है कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय रूयदाद मिसल व खिलाफ कानून होने के कारण लायके मन्सूखी है। रेस्पो0 के विरूद्व इकतरफा शहादत को अदालत मातहत ने कानूनी तौर पर कन्सीडर नही किया है जबकि रेस्पो0 ना तो उपस्थित हुए ना ही कोई साक्ष्य पेश की फिर भी दावा को खारिज करने मे कानूनी भूल की है। वादीगण की मौखिक साक्ष्य को व चालू जमाबंदी को लेश मात्र भी कन्सीडर नही किया है अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय मे लिखा है कि राजस्व दस्तावेजात का प्रदर्श नही कराया काबिले गौर तथ्य यह है कि वादी ने अपने सशपथ बयान आर्डर 18 रूल 4 सीपीसी के तहत अदालत मातहत मे पेश किये तथा दस्तावेजात का हवाला दिया परन्तु अदालत मातहत ने शपथ पत्र बाबत साक्ष्य को लेकर रख लिया तथा अदालती की डयूटी प्रदर्श डालने की कहकर सन्तुष्ट कर दिया। जिसका इल्म अपीलांटान को नही हो सका कि अदालत मातहत ने प्रदर्श ही दस्तावेज पर नही

Scanned by CamScanner

डाला है तथा किसी अननोन कारण से कानून की मंशा को फोलो अदालत मातहत ने नही किया तथा फैसले मे तारीख देकर बीच मे तारीखे बढाकर वगैर बीच मे डाली तारीख की सूचना दिये दावा हाजा खारिज करने मे कानूनी भूल की है। जबकि जमाबंदी के सही व दुरूस्त होने के लिए 114 साक्ष्य अधिनियम के तहत अवधारणा होती है। जमाबंदी लोक दस्तावेज है जिसकी एन्ट्रीज को गवाह द्वारा साबित करने की आवश्यकता नही होती है इस कारण अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी अपीलांटान को अधिनस्थ न्यायालय के रीडर द्वारा बताये जाने पर हुई है। इस कारण जानकारी के अभाव मे डिले हुआ है। अतः डिले कन्डोन फरमाया जावे। अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र आर्डर 18 रूल 4 के अन्तर्गत शपथ पत्र पेश किया वह Admissible है। अतः साक्ष्य का मौका देने हेतु पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड फरमाई जावे।

अभिभाषक अपीलांट की बहस व तर्को पर मनन किया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड नकल जमाबंदी सम्वत 2069 से 2072 वाके ग्राम पाटोर शास्त्री तहसील करौली के खाता संख्या 8 व 6 के विवादित आराजी का अपीलार्थीगण सहखातेदार दर्ज है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 31.12.15 मे वाद पत्र दस्तावेज प्रर्दशित नही होने के अभाव मे खारिज किया है। विचाराधीन वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, 88, 188 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है। जिसमे अपीलार्थीगण द्वारा अपने हिस्से का बंटवारा चाहा है। पत्रावली पर साबूती पत्नि रामधन का शपथ पत्र मौजूद है। पक्षकारो के मध्य विधिवत बंटवारा हेतु पुनः साक्ष्य सुनवाई हेतु पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझता हूँ।

अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर करौली मु0न0 50/2015 निर्णय व डिग्री दिनांक 31.12.15 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर करौली को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर करौली के समक्ष दिनांक 30.03.2020 को उपस्थित होवे।

निर्णय आज दिनांक 25.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

25.2.20

(बी.एल.रमण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2020.02.26 14:48:17 IST
Reason: SelfAttested
Location: